न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2016

अपीलांट –

मुकनाराम पुत्र नारायणजी जाति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स–

1. तसहीलदार सिवाना
2. खंगाराराम पुत्र नारायणजी
3. स्व0 चुन्नीलाल पुत्र नारायणजी के वारीसान–

3.1 देरामाराम पुत्र चुन्नीलाल

3.2 भीमाराम पुत्र चुन्नीलाल

3.3 श्रीमती मोकीदेवी पत्नी चुन्नीलाल जति माली निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

3.4 श्रीमती होली पुत्री चुन्नीलाल जाति माली निवासी महिलावास तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

4. श्रीमती चुटकी पुत्री नारायणजी पत्नी सांवलाराम पुत्र रामाराम जाति माली निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
5. श्रीमती सुवा पुत्री नारायणजी पत्नी भगाराम पुत्र भूराराम जाति माली निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
6. श्रीमती गुलाबी पुत्री नारायणजी पत्नी अणदाराम पुत्र नेमाराम जाति माली निवासी समदड़ी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
7. [illegible] लीला पुत्री नारायणजी [illegible] पुत्र मसराराम जाति माली निवासी [illegible] तहसील आहोर [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested

Lok

जिला कलक्टर
बाड़मेर

8. श्रीमती गोमती पुत्री नारायणजी
पत्नी भेराराम पुत्र गुणेशाराम जाति
माली निवासी कनाना तहसील
पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 3645 दिनांक 08.07.2015 जो तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री नृसिंह सोलंकी, श्री अमित सोलंकी, अधिवक्तागण अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अवशेष रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 14.09.2022

1. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम सिवाना तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 3645 पर तहसीलदार सिवाना द्वारा पारित स्वीकृति दिनांक 08.07.2015 के विरूद्ध दिनांक 22.01.2016 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सिवाना तहसील सिवाना के खसरा नंबर 818, 819 रकबा क्रमशः 00–01, 01–11 बीघा कुल रकबा 01–12 बीघा भूमि खातेदार कनीया वल्द कस्तुरा 1/4, नरसा वल्द पूनमा 1/4, काना वल्द धूड़ा 1/4, घेवर, आम्बा, मीठा पि0 तेजा, मु0 तिजों बेवा तेजा 1/4) 1/2 नारायण वल्द समेला 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त सह खातेदार नारायण वल्द समेला का देहान्त दिनांक 13.03.201[illegible] [illegible] उसकी पत्नी अणसी का देहान्त दिनांक 08.06.201[illegible] [illegible] के फौत होने पर हलका पटवारी सिवाना द्वारा नामान्तरकरण [illegible] 3645 में मृतक नारायण वल्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

समेला के वारीस के रूप में खंगाराराम, मुकनाराम पि0 नारायण, चुटकी, सुवा, लीला, गुलाबी, गोमती पुत्रीयां नारायणराम, देरामाराम, भीमाराम पि0 चुन्नीलाल, होली पुत्री चुन्नीलाल, मोकीदेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति माली सा0 देह के नाम दर्ज कर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपीलों में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा सिवाना तहसील सिवाना के खसरा नंबर 818, 819 रकबा क्रमशः 00–01, 01–11 बीघा कुल रकबा 01–12 बीघा भूमि खातेदार कनीया वल्द कस्तुरा 1/4, नरसा वल्द पूनमा 1/4, काना वल्द धूड़ा 1/4, घेवर, आम्बा, मीठा पि0 तेजा, मु0 तिजों बेवा तेजा 1/4) 1/2 नारायण वल्द समेला 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदार नारायणजी ने अपने हिस्से की उक्त खातेदारी भूमि बाबत एक अंतिम इच्छा पत्र (वसीयतनामा) स्वस्थ चित से अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 24.02.2015 को साक्षीगण की उपस्थिति में निष्पादित कर घोषणा की गई कि उनके देहान्त उपरांत उक्त आराजी को उनकी खातेदारी का हिस्सा 1/2 एक मात्र पुत्र अपीलार्थी को प्राप्त होगा। उक्त वसीयतनामा को 24.02.2015 को नोटेरी से सत्यापित कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा पिता के देहान्त होने पर उक्त वसीयतनामा की प्रति हल्का पटवारी को सुपुर्द करते हुए माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

वसीयतनामा नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट को आश्वासन दिया गया कि वसीयतनामा अनुसार रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया जावेगा। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से राजस्व लोक अदालत अभियान आरम्भ कर दिया गया तथा हल्का पटवारी से सम्पर्क नहीं किया जा सका। अभियान समाप्ति पर हल्का पटवारी से नामान्तरकरण बाबत सम्पर्क किया तो ज्ञात हुआ कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 3645 दिनांक 08.07.2015 को स्वीकृति करवा दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की गई हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर एकपक्षीय तौर पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा माफिक वसीयतनामा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावें।

5. रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 3645 खातेदार के फोत होने पर विरासत के रूप में विधिक वारीसान के नाम स्वीकृत किया गया हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं की गई हैं। अपीलांट द्वारा इस अपील में भी स्व0 नारायणजी के विधिक वारीसान के रूप में दर्ज पक्षकारान को वारीस होने से इंकार नहीं किया गया हैं। अपीलांट यदि वसीयतनामा के आधार पर उक्त विवादित भूमि में अपने अकेले के हक–अधिकार होना मानता हैं तो उसके सक्षम सिविल न्यायालय से वसीयतनामा को प्रोबेट जारी करवाना चाहिए। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जिस वसीयतनामा का उल्लेख किया गया हैं वह दिनांक 24.02.2015 को [illegible] हैं। जबकि अपीलांट द्वारा 2011 में अपने पिता के विरुद्ध उनके जीवनकाल में एक दावा प्रस्तुत किया जिसमें पिता को 85 वृद्ध एवं दिमागी तौर पर बीमार बताया हैं। ऐसे

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

में स्वंय अपीलांट के कथनानुसार ही पिता वृद्धावस्था में होने एवं दिमागी तौर पर बीमार होने का फायदा उठाकर धोखे से फर्जी वसीयतनामा तैयार करवा दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के समस्त वारीसान की जांच उपरांत विधिवत रूप से फोतगी के नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश जारी किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं वाक्याती भूल नहीं होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से भी खारिज योग्य हैं।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता हैं कि मौजा सिवाना तहसील सिवाना के खसरा नंबर 818, 819 रकबा क्रमशः 00–01, 01–11 बीघा कुल रकबा 01–12 बीघा भूमि खातेदार कनीया वल्द कस्तुरा 1/4, नरसा वल्द पूनमा 1/4, काना वल्द धूड़ा 1/4, घेवर, आम्बा, मीठा पि0 तेजा, मु0 तिजों बेवा तेजा 1/4) 1/2 नारायण वल्द समेला 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त सह खातेदार नारायण वल्द समेला का देहान्त दिनांक 13.03.2015 को एवं उसकी पत्नी अणसी का देहान्त दिनांक 08.06.2011 हो गया। खातेदार नारायण के फौत होने पर हलका पटवारी सिवाना द्वारा नामान्तरकरण सं. 3645 में मृतक नारायण वल्द समेला के वारीस के रूप में खंगाराराम, मुकनाराम पि0 नारायण, चुटकी, सुवा, लीला, गुलाबी, गोमती पुत्रीयां नारायणराम, देरामाराम, भीमाराम पि0 चुन्नीलाल, होली पुत्री चुन्नीलाल, मोकीदेवी पत्नी चुन्नीलाल जाति माली सा0 देह के नाम दर्ज कर तहसीलदार सिवाना के समक्ष प्रस्तुत किया। इस नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को प्रस्तुत की गई है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र में उल्लेख किया हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पर स्वीकृति आदेश दिनांक 08.07.2015 का पूर्व में ज्ञान नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

था एवं अभियान समाप्ति पश्चात हल्का पटवारी से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत हो गया हैं। इस पर दिनांक 13.01.2016 को प्रमाणित नकलें प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट सं. 2 के आवेदन पर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा करीब छः माह के विलम्ब का कोई ठोस एवं तर्कसंगत कारण प्रकट नहीं किया गया हैं, क्योंकि जब उसने वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दायर करने का आवेदन कर दिया था तो उसकी जांच एवं कार्यवाही हेतु छः माह बाद सम्पर्क करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं किया गया हैं। इसके उपरांत भी राजस्व लोक अदालत में भी राजस्व से सम्बन्धित कार्यों का ही निपटारा किया जाना था, ऐसे में उक्त अभियान के दौरान भी शिविर प्रभारी के समक्ष उपस्थित होकर अपने प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु निवेदन किया जाना चाहिए था। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो गई थी तथा बावजूद यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

Signature Not Verified

जिला कलक्टर बाड़मेर

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:36:47 IST
Reason: SelfAttested